न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 196 / 2007

1 भंवर सिंह पुत्र बालूसिंह
2 अमरसिंह पुत्र बालूसिंह
3 पृथ्वीं सिंह पुत्र बालूसिंह
4 रामवतार सिंह पुत्र बालूसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी गाडोली, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

अपीलांट

बनाम

1 हरनाथ सिंह पुत्र भादर सिंह
2 करण सिंह पुत्र भादर सिंह नाम हजफ
3 मदन सिंह पुत्र सुरजन सिंह
4 उम्मेद सिंह पुत्र सुरजन सिंह
5 महेन्द्र सिंह पुत्र सुरजन सिंह
6 केशर सिंह पुत्र सुरजन सिंह
7 बजरंग सिंह पुत्र रामसिंह
8 सन्तोष पुत्रीयां स्व रामसिंह
9 गीता पुत्रीयां स्व रामसिंह
10 भगवती पुत्रीयां स्व रामसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी गाडोली, तहसील चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा, जिला झुन्झुनू (राज.)

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.07.2007 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा पत्रावली उनवानी
भंवरसिंह बनाम हरनाथ सिंह आदि मुं.नं. 65/2007
छावा घोषणार्थ व बंटवारा

उपस्थिति :

1. श्री शीशराम बोला, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—24-1-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2007 में पारित निर्णय दिनांक 23.07.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने एक उक्त उनवानी वाद न्यायालय में इस प्रकार पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 एक ही पूर्वज स्व हरजीसिंह के वारिस है। हरजीसिंह, पितरामसिंह सगे भाई थे पितरामसिंह अविवाहित नाऔलाद फौत हो चुके है। स्व. पितराम की खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 172, 177 व 151 व 272 कुल रकबा 12.04 हैक्टर ग्राम गाडोली वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को उत्तराधिकार में प्राप्त होने पर काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमियों के अलावा वादीगण के अलग से कब्जे काश्त की भूमि पुराना खसरा नम्बर 101 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 182 रकबा 1.45 हैक्टर कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत प्राप्त कृषि भूमि है एवं खसरा नम्बर पुराना 102 रकबा 11

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

बीघा 13 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 181 रकबा 2.95 हैक्टर है वादीगण के पिता द्वारा स्व. अर्जित कृषि भूमि है। वाद पत्र की धारा 3 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 2.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 272 रकबा 0.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 176 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 177 रकबा 1.10 हैक्टर वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी, को बिना किसी अधिकार कानूनी के प्रतिवादीगण के पुर्वजों स्व. सुरजनसिंह व रामसिंह ने जरिये नामान्तकरण संख्या 35 दिनांक 1.03.1959 के द्वारा मिलकर अवैध तरीके से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 की उत्तराधिकार में पुर्वजो के प्राप्त कृषि भूमि को अपने नाम करवा लिया, जिसकी ग्राम पंचायत को उक्त प्रकार से कृषि भूमियों में से खातेदारों का हिस्सा परिवर्तित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। उक्त नामान्तकरण संख्या 35 प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के खातेदारी अधिकारों पर बेअसर यानि निष्प्रभावी है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 10 ने उक्त विवादित आराजियात बंटवारा कर रखा है, जो वाद की धारा 10 में दर्ज कर रखा है उसी अनुसार खाता विभाजन करवाना चाहते है। यह कि प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के वाद व उसमें अंकित बंटवारे को मना नहीं किया तथा न ही उनका खण्डन किया, बल्कि भूमि खसरा नम्बर 101 व 102 पुराना जिनके नये खसरा नम्बर 182 का विवरण दावें में न दिया जाना अंकित किया है व भमि खसरा नम्बर 151, 177, 180, 272 को अपीलार्थीगण के पुर्वजों ने प्रतिज्ञा पत्र द्वारा प्रत्यार्थीगण को दे देना कहने से वादीगण का वाद न्यायालय में साबित न पाना कहकर खारीज कर दिया उक्त न्यायालय के गलत निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई। जानकारी से अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 का आवेदन स्वीकार किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय ने केवल प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर भरे गये नामांतकरण को निर्णय का आधार बनाकर वाद खारिज कर दिया है। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। विधि अनुसार अपंजीकृत दस्तावेज कृषि भूमि के हस्तांतरण का आधार नहीं हो सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार वादवादी डिक्री किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक के प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय ने केवल प्रतिज्ञा पत्र के आधार पर भरे गये नामांतकरण को निर्णय का आधार बनाकर वाद खारिज कर दिया है। प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन नहीं किया गया है। विधि अनुसार अपंजीकृत दस्तावेज कृषि भूमि के हस्तांतरण का आधार नहीं हो सकता है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई विवेचन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम स्वरूप पूनिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर